



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 432]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 30, 1995/कार्तिक 8, 1917

No. 432]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 30, 1995/KARTIKA 8, 1917

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, अक्तूबर, 1995

भा.का.नि. 705 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 8 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चलचित्र प्रमाणन (द्वितीय संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में 1-1-96 से प्रवृत्त होंगे।

2. चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 में —

(1) नियम 22 में, उप नियम 151 के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“15(क) उप नियम (4) और उप नियम (5) की कोई भी बात बोर्ड द्वारा अनुदत्त प्रमाणपत्र में व्यक्तियों के नाम प्रकट किए जाने को प्रभावित नहीं करेगी।”

(2) नियम 35 के उप नियम (1) में, या “त्रिजिह्वित” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“या वीडियो/अतिरिक्तियुक्त या वीडियो/क्यस्क या वीडियो/अतिरिक्तियुक्त क्यस्क” या “वीडियो/त्रिजिह्वित”।

(3) नियम 35 में उप नियम (3) और उसके नीचे की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(3) बोर्ड का लिखित लिखित प्रमाणपत्र की एक फिल्म प्रति, अर्थात् एक ट्रेनर प्रमाण पत्र होगा, जो फिल्म के साथ लगाया जाएगा और उसके साथ प्रदर्शित किया जाएगा। ट्रेनर प्रमाणपत्र अपनी अवधि के लिए होगा जितनी अवधि में कोई उसे पढ़े पर पढ़ सकता हो।

“परन्तु प्रमाणपत्र का भाग कम से कम 10 सैकंड की अवधि तक दिखाया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि बोर्ड द्वारा कोई कांट-कांट या उपान्तर करने का आदेश नहीं किया गया है, तो प्रमाणपत्र के भाग-2 को दिखाने की आवश्यकता नहीं है।”

(4) दूसरी अनुसूची में, प्राल्प 4, प्राल्प 4-क, प्राल्प-5, प्राल्प 5-क, प्राल्प-6, प्राल्प 6-क, प्राल्प 7 और 7-क के स्थान पर निम्नलिखित प्राल्प रखे जाएंगे अर्थात् :—

प्रमाण-1

[नियम 35 (1) देखिए]

भारत सरकार

यह प्रमाणपत्र केवल थिएटरों में प्रदर्शित करने वाकत विधिमाम्य है।

भाग-1

प्रमाणपत्र सं. नारीख श्रेणी "अ"
 फिल्म माप मि.मी. (लंबाई) मीटर रील

निम्नलिखित परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील
 अधिकरण के सदस्यों द्वारा परीक्षण के पश्चात् तथा उक्त परीक्षा समिति/
 पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण की सिफारिशों पर
 बोर्ड एतद्वारा यह प्रमाणित करता है कि पीछे संलग्न भाग-2 में उपा-
 दर्शित कोट-छांट और उपाल्तरों के अधीन फिल्म अनिर्बंधित सार्वजनिक
 प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है।

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

अनिर्बंधित सार्वजनिक प्रदर्शन

यह और प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पैनाल द्वारा अधि-
 रोपित कोट-छांट और उपाल्तरों को वास्तव में कार्यान्वित किया गया
 है :-

अध्यक्ष

आवेदक का नाम
 निर्माता का नाम

भाग-2

कोट-छांट एवं उपाल्तरों की विशिष्टता :

प्रकार

[नियम 35 (1) देखिए]

भारत सरकार

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

यह प्रमाणपत्र केवल बीडियो फिल्मों के वाकत विधिमाम्य है।

भाग-1

प्रमाणपत्र सं. नारीख श्रेणी "बी/अ"
 फिल्म माप मि.मी. (लंबाई) मीटर रील

निम्नलिखित परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील
 अधिकरण के सदस्यों द्वारा परीक्षण के पश्चात् तथा उक्त परीक्षा समिति/
 पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण की सिफारिशों पर
 बोर्ड एतद्वारा यह प्रमाणित करता है कि पीछे संलग्न भाग-2 में उपदर्शित

कोट-छांट और उपाल्तरों के अधीन फिल्म अनिर्बंधित सार्वजनिक प्रदर्शन
 के लिए उपयुक्त है।

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

सार्वभौमिक बीडियो

यह और प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पैनाल द्वारा अधि-
 रोपित कोट-छांट और उपाल्तरों को वास्तव में कार्यान्वित किया गया है :-

आवेदक का नाम
 निर्माता का नाम

अध्यक्ष

भाग-II

कोट-छांट और उपाल्तरों की विशिष्टता।

प्रकार-5

[नियम 35 (1) देखिए]

भारत सरकार

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

यह प्रमाणपत्र केवल थिएटरों में प्रदर्शित करने वाकत विधिमाम्य है।

भाग-1

प्रमाणपत्र सं. नारीख श्रेणी "ब"
 फिल्म माप मि.मी. (लंबाई) मीटर रील

निम्नलिखित परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील
 अधिकरण के सदस्यों द्वारा परीक्षण के पश्चात् तथा उक्त परीक्षा समिति/
 पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण की सिफारिशों पर
 बोर्ड एतद्वारा यह प्रमाणित करता है कि पीछे संलग्न भाग-2 में उपा-
 दर्शित कोट-छांट और उपाल्तरों के अधीन फिल्म केवल वयस्कों के लिए
 निर्बंधित सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु उपयुक्त है।

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

केवल वयस्कों के लिए

यह और प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पैनाल द्वारा अधि-
 रोपित कोट-छांट और उपाल्तरों को वास्तव में कार्यान्वित किया गया
 है :-

आवेदक का नाम
 निर्माता का नाम

अध्यक्ष

भाग-2

कोट-छांट एवं उपाल्तरों की विशिष्टता :

प्रारूप 5-क

[नियम 35(1) देखिए]

भारत सरकार

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड

यह प्रमाणपत्र केवल बीडियो फिल्मों के वास्तव विधिमान्य है

भाग 1

प्रमाणपत्र संख्या	दिनांक	वर्ग	"बीडियो/वयस्क"
फिल्म	माप	एम.एम.	लम्बाई मीटर रील

निम्नलिखित परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण के सदस्यों द्वारा परीक्षण के पश्चात् तथा उक्त परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण की सिफारिशों पर बोर्ड एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता है कि पीछे संलग्न भाग-2 में उपदिष्ट काट-छांट और उपान्तरों के अधीन फिल्म केवल वयस्कों के लिए निम्नलिखित सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु उपयुक्त है।

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

बीडियो केवल वयस्क

यह और प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त बोर्ड द्वारा अधिरोपित काट-छांट और उपान्तरों को वास्तव में कार्यान्वित किया गया है।

अध्यक्ष

आवेदक का नाम

निर्माता का नाम

भाग-2

काट-छांट एवं उपान्तरों की विधिष्टियां :

प्रारूप 6

[नियम 35(1) देखिए]

भारत सरकार

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड

यह प्रमाणपत्र केवल वियेटर प्रदर्शन के लिए वैध है

भाग 1

प्रमाणपत्र संख्या	दिनांक	वर्ग	"अनिबन्धित वयस्क"
फिल्म	माप	एम.एम.	लम्बाई मीटर रील

निम्नलिखित परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण के सदस्यों द्वारा परीक्षण के पश्चात् तथा उक्त परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण की सिफारिशों पर बोर्ड एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता है कि पीछे संलग्न भाग-2 में उपदिष्ट काट-छांट और उपान्तरों के अधीन फिल्म इस चेतावनी के पठान के साथ सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है कि 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को फिल्म देखने की अनुज्ञा दी जाए या

नहीं, इस प्रश्न पर उस के माता-पिता या संरक्षक द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

अनिबन्धित/वयस्क
अभिभावक मार्गनिर्देशन

यह और प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त बोर्ड द्वारा अधिरोपित काट-छांट और उपान्तरों को वास्तव में कार्यान्वित किया गया है।

अध्यक्ष

आवेदक का नाम

निर्माता का नाम

भाग-2

काट-छांट और उपान्तरों की विधिष्टियां

प्रारूप 6-क

[नियम 35(1) देखिए]

भारत सरकार

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड

यह प्रमाणपत्र केवल बीडियो फिल्मों के लिए वैध है

प्रमाणपत्र संख्या	दिनांक	वर्ग	"अनिबन्धित वयस्क"
फिल्म	माप	एम.एम.	लम्बाई मीटर रील

निम्नलिखित परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण के सदस्यों द्वारा परीक्षण के पश्चात् तथा उक्त परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण की सिफारिशों पर बोर्ड एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता है कि पीछे संलग्न भाग-2 में उपदिष्ट काट-छांट और उपान्तरों के अधीन फिल्म इस चेतावनी के पठान के साथ सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है कि 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को फिल्म देखने की अनुज्ञा दी जाए या नहीं, इस प्रश्न पर उस बालक के माता-पिता या संरक्षक द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

अनिबन्धित/वयस्क

अभिभावक मार्गनिर्देशन

यह और प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त बोर्ड द्वारा अधिरोपित काट-छांट और उपान्तरों को वास्तव में कार्यान्वित किया गया है।

अध्यक्ष

आवेदक का नाम

निर्माता का नाम

भाग-2

काट-छांट और उपान्तरों की विधिष्टियां

प्रारूप-7

[नियम 35(1) देखिए]

भारत सरकार

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड

यह प्रमाण पत्र केवल रंगमंचीय थियेट्रों में प्रदर्शित करने लायक
विधिमार्ग है

भाग-1

प्रमाण पत्र संख्या-----, तारीख-----

श्रेणी—"एम" फिल्म-----माप-----एम.एम.-----

लम्बाई-----मीटर-----रीले

निम्नलिखित परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील
अधिकरण के सदस्यों द्वारा फिल्म का परीक्षण करने के बाद तथा उक्त
परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण की
सिफारिशों पर, बोर्ड एतद्वारा प्रमाणित करता है कि पिछली भाग-
भाग-2 में उपस्थित कांट-छाट और उपात्तरों के अधीन रहते हुए किसी
व्यवसाय के सदस्यों अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए निबन्धित
सांख्यिक प्रदर्शन हेतु फिल्म उपयुक्त है:--

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

दर्शक विशेषण

यह और प्रमाणित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा अधिरोपित कांट-
छाट और उपात्तरों को वास्तव में कार्यान्वित किया गया है।

आवेदक का नाम

निर्माता का नाम

प्रत्यक्ष

भाग-2

कांट-छाट एव उपात्तरों की विभिष्टियां:

प्रारूप-7 क

[नियम 35 (1) देखिए]

भारत सरकार

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणिकरण बोर्ड

यह प्रमाण पत्र केवल बीडियो फिल्म लायक विधिमार्ग है

भाग-1

प्रमाण पत्र संख्या-----, तारीख-----, श्रेणी --"सी/एन"

फिल्म-----माप-----एम.एम.-----लम्बाई-----

मी. रीले-----

निम्नलिखित परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील
अधिकरण के सदस्यों द्वारा फिल्म का परीक्षण करने के बाद तथा उक्त
परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण की
सिफारिशों पर; बोर्ड एतद्वारा प्रमाणित करता है कि पिछली और
भाग-2 में उपस्थित कांट-छाट और उपात्तरों के अधीन रहते हुए किसी

व्यवसाय के सदस्यों अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए निबन्धित
सांख्यिक प्रदर्शन हेतु फिल्म उपयुक्त है:--

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

बी/एस

बीडियो दर्शक विशेषण

यह और प्रमाणित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा अधिरोपित कांट-
छाट और उपात्तरों को वास्तव में कार्यान्वित किया गया है।

प्रत्यक्ष

आवेदक का नाम

निर्माता का नाम

भाग-11

कांट-छाट और उपात्तरों की विभिष्टियां

[फा. सं. 802/8/94-एफ (सी)]

रघु सेनत. संयुक्त मन्त्र

पाठ-टिप्पणी:—दिनांक 9-5-83 के सा.का.नि. 381(ई) द्वारा
भारत के अमाध्याय राजपत्र के भाग-11, खण्ड (i) में मुख्य नियम
प्रकाशित किए गए और निम्नलिखित संशोधन किए गए:--

- (i) सा.का.नि. 8(ई) दिनांक 28-2-84
- (ii) सा.का.नि. 413(ई) दिनांक 29-5-95
- (iii) सा.का.नि. 814(ई) दिनांक 13-12-84
- (iv) सा.का.नि. 722 दिनांक 21-10-89
- (v) सा.का.नि. 702(ई) दिनांक 27-11-91
- (vi) सा.का.नि. 67(ई) दिनांक 30-1-92
- (vii) सा.का.नि. 603(ई) दिनांक 3-8-94
- (viii) सा.का.नि. 816(ई) दिनांक 16-11-94
- (ix) सा.का.नि. 817(ई) दिनांक 16-11-94
- (x) सा.का.नि. 121 दिनांक 11-3-95
- (xi) सा.का.नि. 370 (ई) दिनांक 28-4-95

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 1995

G.S.R. 705(E).—In exercise of the powers con-
ferred by section 8 of the Cinematograph Act,
1952 (37 of 1952), the Central Government hereby
makes the following rules further to amend the
Cinematograph (Certification) Rules, 1983,
namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These
rules may be called the Cinematograph (Certifica-
tion) (2nd Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force with effect
from 1-1-96.

2. In the Cinematograph (Certification) Rules, 1983,—

- (1) in rule 22, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
“(5A) Nothing in sub-rules (4) and (5) shall affect the disclosure of names of persons in the certificate granted by the Board”.
- (2) in rule 35, in sub-rule (1), after the word and letter “or ‘S’” the following words and letters shall be substituted, namely:—
“or ‘U’ or ‘V|A’ or ‘V|UA’ or ‘V|S’”.
- (3) in rule 35, for the sub-rule (3) and the Table thereunder, the following shall be substituted, namely:—
“(3) The prescribed mark of the Board shall be a firm copy of the certificate, that is, a trailer certificate, which shall be affixed to the film and always exhibited with it. The trailer certificate shall be for such duration as one can read it on the screen;

Provided that Part 1 of the certificate shall be shown for a minimum duration of 10 seconds;

Provided further that if there are no excisions or modifications ordered by the Board, Part II of the certificate need not be shown.”

- (4) in the Second Schedule, for the Forms IV, IV-A, V, V-A, VI, VI-A, VII and VII-A, the following forms shall be substituted, namely:—

Form IV

[See Rule 35(1)]

GOVERNMENT OF INDIA

CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THEATRICAL RELEASE ONLY

Part I

CERTIFICATE NO..... DATED..... CATEGORY “U”

FILM..... GAUGE MM LENGTH..... MTS REELS

After examination of the film by the members of the Examining Committee|Revising Committee|Film Certification Appellate Tribunal mentioned below and on the recommendations of the said Examining Committee|Revising Committee|Film Certification Appellate Tribunal, the Board hereby certifies that the film is fit for unrestricted public

exhibition subject to excisions and modification listed in Part II on the reverse :—

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

UNRESTRICTED PUBLIC EXHIBITION

Further certified that the excisions and modifications imposed by the Board have actually been carried out.

Name of the applicant
Name of the Producer

CHAIRMAN

PART-II

Particulars of excisions and modifications:

Form IV-A

[See Rule 35(1)]

GOVERNMENT OF INDIA

CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR VIDEO FILMS ONLY

Part I

CERTIFICATE NO..... DATED..... CATEGORY “V|U”
FILM..... GAUGE MM
LENGTH..... MTS REELS

After examination of the film by the members of the Examining Committee|Revising Committee|Film Certification Appellate Tribunal mentioned below and on the recommendations of the said Examining Committee|Revising Committee|Film Certification Appellate Tribunal, the Board hereby certifies that the film is fit for unrestricted public exhibition subject to excisions and modifications listed in Part II on the reverse :—

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

UNIVERSAL VIDEO

Further certified that the excisions and modifications imposed by the Board have actually been carried out.

Name of the applicant
Name of the Producer

CHAIRMAN

PART-II

Particulars of excisions and modifications:

Form V

[See Rule 35(1)]

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL BOARD OF FILM
CERTIFICATION

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR
THEATRICAL RELEASE ONLY

Part I

CERTIFICATE NO..... DATED.....
CATEGORY "A"
FILM..... GAUGE MM
LENGTH.....MTS REELS

After examination of the film by the members of the Examining Committee|Revising Committee|Film Certification Appellate Tribunal mentioned below and on the recommendations of the said Examining Committee|Revising Committee|Film Certification Appellate Tribunal, the Board hereby certifies that the film is fit for public exhibition, restricted to adults only, subject to excisions and modifications listed in Part II on the reverse:—

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

ADULTS ONLY

Further certified that the excisions and modifications imposed by the Board have actually been carried out.

Name of the applicant
Name of the Producer

CHAIRMAN

PART-II

Particulars of excisions and modifications:

Form V-A

[See Rule 35(1)]

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL BOARD OF FILM
CERTIFICATION

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR VIDEO
FILMS ONLY

Part I

CERTIFICATE NO..... DATED.....
CATEGORY "V/A"
FILM..... GAUGE MM
LENGTH.....MTS REELS

After examination of the film by the members of the Examining Committee|Revising Committee|Film Certification Appellate Tribunal mentioned

below and on the recommendations of the said Examining Committee|Revising Committee|Film Certification Appellate Tribunal, the Board hereby certifies that the film is fit for public exhibition restricted to adults only, subject to excisions and modifications listed in Part II on the reverse:—

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

ADULTS ONLY VIDEO

Further certified that the excisions and modifications imposed by the Board have actually been carried out.

Name of the applicant
Name of the Producer

CHAIRMAN

PART-II

Particulars of excisions and modifications:

Form VI

[(See Rule 35(1))]

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR
THEATRICAL RELEASE ONLY

Part I

CERTIFICATE NO..... DATED.....
CATEGORY "UA"
FILM.....GAUGE MM
LENGTH.....MTS REELS

After examination of the film by the members of the Examining Committee|Revising Committee|Film Certification Appellate Tribunal mentioned below and on the recommendations of the said Examining Committee|Revising Committee|Film Certification Appellate Tribunal, the Board hereby certifies that the film is fit for public exhibition with an endorsement of caution that the question as to whether any child below the age of 12 years may be allowed to see the film should be considered by the parents or guardian of such

child, and also subject to excisions and modifications listed in Part II on the reverse :—

- 1.
2. PARENTAL GUIDANCE
- 3.
- 4.

Further certified that the excisions and modifications imposed by the Board have actually been carried out

Name of the applicant.

Name of the Producer.

CHAIRMAN

PART-II

Particulars of excisions and modifications :

Form VI-A

[See Rule 35(1)]

GOVERNMENT OF INDIA

CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR VIDEO FILMS

Part I

CERTIFICATE NO. DATED CATEGORY "V|UA"

FILM GAUGE MM..... LENGTH.....MTS REELS

After examination of the film by the members of the Examining Committee|Revising Committee|Film Certification Appellate Tribunal mentioned below and on the recommendations of the said Examining Committee|Revising Committee|Film Certification Appellate Tribunal, the Board hereby certifies that the film is fit for public exhibition with an endorsement of caution that the question as to whether any child below the age of 12 years may be allowed to see the film should be considered by the parents or guardian of such

child, and also subject to excisions and modifications listed in Part II on the reverse :—

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Further certified that the excisions and modifications imposed by the Board have actually been carried out.

Name of the applicant.

Name of the Producer.

CHAIRMAN

PART-II

Particulars of excisions and modifications :

Form VII

[See Rule 35(1)]

GOVERNMENT OF INDIA

CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THEATRICAL RELEASE ONLY

Part I

CERTIFICATE NO. DATED CATEGORY "S"

FILM GAUGE MM..... LENGTH.....MTS REELS

After examination of the film by the members of the Examining Committee|Revising Committee|Film Certification Appellate Tribunal mentioned below and on the recommendations of the said Examining Committee|Revising Committee|Film Certification Appellate Tribunal, the Board hereby certifies that the film is fit for public exhibition restricted to members of any profession of any class of persons, subject to excision and modifications listed in Part II on the reverse :—

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

SPECIALISED AUDIENCE

Further certified that the excisions and modifications imposed by the Board have actually been carried out.

Name of the applicant.

Name of the Producer.

CHAIRMAN

PART-II

Particulars of excisions and modifications :

Form VII-A

[See Rule 35(1)]

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR
VIDEO FILM ONLY

Part I

CERTIFICATE NO. DATED
CATEGORY "V|S"

FILM GAUGE MM.....
LENGTH.....MTS REELS

After examination of the film by the members of the Examining Committee|Revising Committee|Film Certification Appellate Tribunal mentioned below and on the recommendations of the said Examining Committee|Revising Committee|Film Certification Appellate Tribunal, the Board hereby certifies that the film is fit for public exhibition restricted to members of any profession or any class of persons, subject to excisions and modifications listed in Part II on the reverse :—

- 1.
2. SPECIALISED AUDIENCE VIDEO
- 3.
- 4.

Further certified that the excisions and modifications imposed by the Board have actually been carried out.

Name of the applicant.
Name of the Producer.

CHAIRMAN

PART-II

Particulars of excisions and modifications :

[File No. 8028|94-F(C)]
RAGHU MENON, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal rules were published, vide No. GSR 381 (E) dated 9-5-83 in the Extra Ordinary Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) and amended by :—

- (i) GSR 83(E) dated 28-2-84;
- (ii) GSR 413(E) dated 29-5-84;
- (iii) GSR 814(E) dated 13-12-84;
- (iv) GSR 772 dated 21-10-89;
- (v) GSR 702(E) dated 27-11-91;
- (vi) GSR 67(E) dated 30-1-92;
- (vii) GSR 603(E) dated 3-8-94;
- (viii) GSR 816(E) dated 16-11-94;
- (ix) GSR 817(E) dated 16-11-94;
- (x) GSR 121 dated 11-3-95;
- (xi) GSR 370(E) dated 28-4-95.